न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2020 Gems No2020/00061
दायरा तिथि : 14.07.2020
प्राथमिक डिक्री दिनांक: 29.03.2022 फाईनल डिक्री दिनांक 15-07-22
वादीगण :–

1. सुल्तानसिंह पुत्र करणसिंहजी जाति राजपुत
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. स्व. दानसिंह पुत्र करणसिंहजी जाति राजपुत निवासी बीजापुर के कायम मुकाम वारिशान:–
   2/1 छगनकंवर पत्नि स्व. दानसिंहजी
   2/2 रतनसिंह पुत्र स्व. दानसिंहजी
   2/3 सुरसिंह पुत्र स्व. दानसिंहजी तीनो जाति से राजपुत
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अविनाश पुत्र गुलाबचंदजी जाति जैन
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. स्व. तेजसिंह पुत्र करणसिंहजी जाति राजपुत निवासी बीजापुर के कायम मुकाम वारिशान:–
   2/1 अमरीकंवर पत्नि स्व. तेजसिंहजी
   2/2 उषाकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी
   2/3 छगनकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी
   2/4 सुन्दरकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी
   2/5 मोतीकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी
   2/6 संतोषकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी तमाम जाति से राजपुत
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. स्व. बख्तावरसिंह पुत्र करणसिंहजी जाति राजपुत निवासी बीजापुर के कायम मुकाम वारिशान:–
   3/1 कल्याणसिंह पुत्र स्व. बख्तावरसिंहजी
   3/2 मोतीसिंह पुत्र स्व. बखतावरसिंहजी
   3/3 भंवरकंवर पुत्री स्व. बख्तावरसिंहजी
   3/4 चौथकंवर पत्नि स्व. बख्तावरसिंहजी तमाम जाति से राजपुत
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थिति:–

1.श्री हनुमानसिंह चौहान............................ अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री सुरजभानसिंह राव .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से
3. तहसीलदार, बाली ....पेशोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 15-07-22

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 406, 407, 408 रकबा क्रमशः 0.56 हैक्टर, 0.99 हैक्टर, 1.06 हैक्टर कुल खसरा–03 कुल रकबा 2.61 किस्म बारानी दोयम कुल लगान 13.05 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या–01 का 1/2 हिस्सा एवं शेष 1/2 हिस्सा में वादीगण संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 03 का रेकर्ड में दर्ज बहिस्सा बराबर अनुसार 1/8, 1/8 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की प्रति एवं प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व नक्शा पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के समस्त कायम मुकाम के सम्मन प्रोसेस सर्विस से तामील होने के बावजुद नियत दिनांक 13.08.2020 को वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहे तथा इसके बाद न्यायालय में नियत पेशीयो पर आदिनांक तक अनुपस्थित रहे है, इन प्रतिवादीगण की ओर से किसी अधिवक्ता द्वारा भी आदिनांक तक उपस्थिति नहीं दी गई। जिससे प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के समस्त कायम मुकाम वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के समस्त कायम मुकाम के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या–01 को मुम्बई निवास के पते से रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी किये गये। रजिस्टर्ड डाक से भी तामील नहीं होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–01 की तलबी प्रतिस्थापित तामील सम्मन अखबार में छाया के माध्यम से करवाने बाबत् आदेश पारित किये गये। परन्तु न्यायालय आदेश की पालना में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या–01 के सम्मन अखबार में छाया नहीं कराये गये।

पेज लगातार.............02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (रा

पेज लगातार.............02

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2020 Gcms No2020/00061

अनवान सुल्तानसिंह वगैरा बनाम अविनाश वगैरा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

इस कार्यवाही के चलते प्रतिवादी संख्या–01 के पॉवर ऑफ एटोरनी होल्डर तोलाराम पुत्र हबताराम रेबारी निवासी बीजापुर की ओर से अधिवक्ता श्री सूरजभानसिंह राव द्वारा दिनांक 29.03.2022 को वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या–01 का 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् सहमति प्रकट करते हुये इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। प्रकरण में तहसीलदार, बाली फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से वकील वादीगण श्री हनुमानसिंह चौहान व वकील प्रतिवादी संख्या–01 श्री सूरजभानसिंह राव की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 406, 407, 408 रकबा क्रमशः 0.56 हैक्टर, 0.99 हैक्टर, 1.06 हैक्टर कुल खसरा–03 कुल रकबा 2.61 किस्म बारानी दोयम कुल लगान 13.05 रूपये के संबध में रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या–01 का 1/2 हिस्सा एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के वारिशान का 1/2 X1/4=1/8, 1/8 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की दिनांक 29.03.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर पालना रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्ड में दर्ज खातेदारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/614 दिनांक 04.07.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
सुल्तानसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपुत हि. पुर्ण सा. देह खातेदार	408/1	0.32	बारानी दोयम	1.60	ब्ल्यु रंग
छगनकंवर पत्नि दानसिंह हि. 1/3 रतनसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/3 भुरसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/3 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	408/2	0.32	बारानी दोयम	1.60	ओरेंज
अगरी पत्नि तेजसिंह हि. 1/6 उषा कंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 छगनकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 सुन्दरकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 पोचीकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 संतोष कंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	407/1	0.32	बारानी दोयम	1.60	लाल
कल्याणसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/4 मोतीसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/4 भंवरकंवर पुत्री बख्तावरसिंह हि. 1/4 चौथकंवर पत्नि बख्तावरसिंह हि. 1/4 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	407/2	0.32	बारानी दोयम	1.60	जामुनी
अविनाश पुत्र गुलाबचन्द जाति जैन हि. पुर्ण सा. देह खातेदार	406 407 408	0.54 0.32 0.42	बारानी दोयम बारानी दोयम बारानी दोयम	2.70 1.60 2.10	गहरा हरा
	03	1.28	बा.दो.	6.40	
सुल्तानसिंह पुत्र करणसिंह हि. 1/8 कल्याणसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/ 32 मोतीसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/ 32 भंवरकंवर पुत्री बख्तावरसिंह हि.1/32 चौथकंवर पत्नि बख्तावरसिंह हि. 1/32 अगरीकंवर पत्नि तेजसिंह हि. 1/48 उषाकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/48 छगनकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/ 48 सुन्दरकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/ 48 पोचीकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/ 48 संतोषकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/48 छगनकंवर पत्नि दानसिंह हि. 1/24 रतनसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/ 24 भुरसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/ 24 जाति राजपुत अविनाश पुत्र गुलाबचन्द जाति जैन हि. 1/2 सा. देह खातेदार	406/1 407/3	0.02 0.03	बा.दो. (गै.मु.रास्ता) बा.दो. (गै.मु.रास्ता)	0.10 0.15	स्काई ब्ल्यु
	02	0.05	–	0.25	

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2020 Gcms No2020/00061
अनवान सुल्तानसिंह वगैरा बनाम अविनाश वगैरा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान व प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरजमानसिंह राव ने उपस्थित होकर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन से दोनो पक्षो के अधिवक्ता सहमत है। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 406, 407, 408 रकबा क्रमशः 0.56 हैक्टर, 0.99 हैक्टर, 1.06 हैक्टर कुल खसरा–03 कुल रकबा 2.61 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 13.05 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
सुल्तानसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपुत हि. पुर्ण सा. देह खातेदार	408/1	0.32	बारानी दोयम	1.60	बल्यु रंग
छगनकंवर पत्नि दानसिंह हि. 1/3 रतनसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/3 मुरसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/3 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	408/2	0.32	बारानी दोयम	1.60	ओरेंज
अगरी पत्नि तेजसिंह हि. 1/6 उषा कंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 छगनकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 सुन्दरकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 पोचीकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 संतोष कंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	407/1	0.32	बारानी दोयम	1.60	लाल
कल्याणसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/4 मोतीसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/4 भंवरकंवर पुत्री बख्तावरसिंह हि. 1/4 चौथकंवर पत्नि बख्तावरसिंह हि. 1/4 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	407/2	0.32	बारानी दोयम	1.60	जामुनी
अविनाश पुत्र गुलाबचन्द जाति जैन हि. पुर्ण सा. देह खातेदार	406 407 408	0.54 0.32 0.42	बारानी दोयम बारानी दोयम बारानी दोयम	2.70 1.60 2.10	गहरा हरा
	03	1.28	बा.दो.	6.40	
सुल्तानसिंह पुत्र करणसिंह हि. 1/8 कल्याणसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/ 32 मोतीसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/ 32 भंवरकंवर पुत्री बख्तावरसिंह हि.1/32 चौथकंवर पत्नि बख्तावरसिंह हि. 1/32 अगरीकंवर पत्नि तेजसिंह हि. 1/48 उषाकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/48 छगनकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/ 48 सुन्दरकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/ 48 पोचीकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/ 48 संतोषकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/48 छगनकंवर पत्नि दानसिंह हि. 1/24 रतनसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/ 24 मुरसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/ 24 जाति राजपुत अविनाश पुत्र गुलाबचन्द जाति जैन हि. 1/2 सा. देह खातेदार	406/1 407/3	0.02 0.03	बा.दो. (गै.मु.रास्ता) बा.दो. (गै.मु.रास्ता)	0.10 0.15	स्काई ब्ल्यु
	02	0.05	–	0.25	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 13.05 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 15-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

इजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादीगण :–

1. सुल्तानसिंह पुत्र करणसिंहजी जाति राजपुत
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. स्व. दानसिंह पुत्र करणसिंहजी जाति राजपुत निवासी बीजापुर के कायम मुकाम वारिशानः–
   2/1 छगनकंवर पत्नि स्व. दानसिंहजी
   2/2 रतनसिंह पुत्र स्व. दानसिंहजी
   2/3 भुरसिंह पुत्र स्व. दानसिंहजी तीनो जाति से राजपुत
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अविनाश पुत्र गुलाबचंदजी जाति जैन
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. स्व. तेजसिंह पुत्र करणसिंहजी जाति राजपुत निवासी बीजापुर के कायम मुकाम वारिशानः–
   2/1 अगरीकंवर पत्नि स्व. तेजसिंहजी
   2/2 उषाकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी
   2/3 छगनकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी
   2/4 सुन्दरकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी
   2/5 पोचीकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी
   2/6 संतोषकंवर पुत्री स्व. तेजसिंहजी तमाम जाति से राजपुत
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. स्व. बख्तावरसिंह पुत्र करणसिंहजी जाति राजपुत निवासी बीजापुर के कायम मुकाम वारिशानः–
   3/1 कल्याणसिंह पुत्र स्व. बख्तावरसिंहजी
   3/2 मोतीसिंह पुत्र स्व. बखतावरसिंहजी
   3/3 भंवरकंवर पुत्री स्व. बख्तावरसिंहजी
   3/4 चौथकंवर पत्नि स्व. बख्तावरसिंहजी तमाम जाति से राजपुत
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2020 Gcms No2020/00061

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन से दोनो पक्षो के अधिवक्ता सहमत है। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 406, 407, 408 रकबा क्रमशः 0.56 हैक्टर, 0.99 हैक्टर, 1.06 हैक्टर कुल खसरा–03 कुल रकबा 2.61 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 13.05 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
सुल्तानसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपुत हि. पुर्ण सा. देह खातेदार	408/1	0.32	बारानी दोयम	1.60	बल्यु रंग
छगनकंवर पत्नि दानसिंह हि. 1/3 रतनसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/3 भुरसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/3 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	408/2	0.32	बारानी दोयम	1.60	ओरेंज
अगरी पत्नि तेजसिंह हि. 1/6 उषा कंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 छगनकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 सुन्दरकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 पोचीकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 संतोष कंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/6 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	407/1	0.32	बारानी दोयम	1.60	लाल
कल्याणसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/4 मोतीसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/4 भंवरकंवर पुत्री बख्तावरसिंह हि. 1/4 चौथकंवर पत्नि बख्तावरसिंह हि. 1/4 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	407/2	0.32	बारानी दोयम	1.60	जामुनी

पेज लगातार...02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2020 Gems No2020/00081

अनवान सुल्तानसिंह वगैरा बनाम अविनाश वगैरा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

अविनाश पुत्र गुलाबचन्द जाति जैन हि. पुर्ण सा. देह खातेदार	406 407 408	0.54 0.32 0.42	बारानी दोयम बारानी दोयम बारानी दोयम	2.70 1.60 2.10	गहरा हरा
	03	1.28	बा.दो.	6.40	
सुल्तानसिंह पुत्र करणसिंह हि. 1/8 कल्याणसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/ 32 मोतीसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हि. 1/ 32 भंवरकंवर पुत्री बख्तावरसिंह हि.1/32 चौथकंवर पत्नि बख्तावरसिंह हि. 1/32 अगरीकंवर पत्नि तेजसिंह हि. 1/48 उषाकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/48 छगनकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/ 48 सुन्दरकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/ 48 पोचीकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/ 48 संतोषकंवर पुत्री तेजसिंह हि. 1/48 छगनकंवर पत्नि दानसिंह हि. 1/24 रतनसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/ 24 जाति 1/ 24 भुरसिंह पुत्र दानसिंह हि. 1/ 24 जाति राजपूत अविनाश पुत्र गुलाबचन्द जाति जैन हि. 1/2 सा. देह खातेदार	406/1 407/3	0.02 0.03	बा.दो. (गै.मु.रास्ता) बा.दो. (गै.मु.रास्ता)	0.10 0.15	स्काई ब्ल्यु
	02	0.05	—	0.25	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 13.05 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीन के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15-07-22 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *